मध्यप्रदेश विधान सभा

नवम्बर, 2009 सत्र

दैनिक कार्य सूची

शुक्रवार, दिनांक 20 नवम्बर, 2009 (कार्तिक 29, 1931)

समय 10.30 बजे दिन

1. प्रश्नोत्तर

पृथकतः वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे.

2. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) श्री कैलाश विजयवर्गीय, वाणिज्य, उद्योग और रोजगार मंत्री, कम्पनीज एक्ट, 1956 की धारा 619-क की उपधारा (3) (ख) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश राज्य उद्योग निगम मर्यादित का 44वां एवं 45वां वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखे वर्ष 2004-2005 एवं 2005-2006 पटल पर रखेंगे.

(2) श्री नागेन्द्र सिंह, लोक निर्माण मंत्री, कम्पनीज एक्ट, 1956 की धारा 619-क की उपधारा (3) (ख) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम मर्यादित का तृतीय वार्षिक लेखा एवं प्रतिवेदन वर्ष 2006-2007 पटल पर रखेंगे.

(3) श्री कन्हैयालाल अग्रवाल, राज्यमंत्री नर्मदा घाटी विकास, कम्पनीज एक्ट, 1956 की धारा 619-क की उपधारा (3) (ख) की अपेक्षानुसार एन.एच.डी.सी. लिमिटेड की वार्षिक रिपोर्ट वर्ष 2008-2009 पटल पर रखेंगे.

3. नियम 138 (1) के अधीन ध्यान आकर्षण

(1) श्री रामनिवास रावत, चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी, डॉ. गोविन्द सिंह, सदस्य, श्योपुर जिले में ग्रामीण यांत्रिकी सेवा विभाग द्वारा सीमेंट क्रय में अनियमितता किये जाने की ओर पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(2) श्री नर्मदा प्रसाद प्रजापति, सदस्य, नरसिंहपुर जिले के ग्राम हिनौतिया में दूषित पेयजल पीने से ईलाज के अभाव में एक ही परिवार के तीन व्यक्तियों की मौत होने की ओर लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(3) डॉ. गोविन्द सिंह, सर्वश्री रामनिवास रावत, रत्नेश सॉलोमन, सदस्य, प्रदेश में डेंगू एवं मलेरिया के प्रकोप से उत्पन्न स्थिति की ओर लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(4) श्री केदारनाथ शुक्ल, सदस्य,सीधी जिले में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना अन्तर्गत किये गये कार्य अपूर्ण होने की ओर पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(5) सर्वश्री प्रदीप जायसवाल, नर्मदा प्रसाद प्रजापति, डॉ. गोविन्द सिंह, सदस्य, बालाघाट जिले के वारासिवनी में दलित महिला की रिपोर्ट पर पुलिस द्वारा कोई कार्यवाही न किये जाने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(6) श्री हितेन्द्र सिंह सोलंकी, सदस्य, खरगौन जिले के बड़वाह जनपद पंचायत अन्तर्गत किये जा रहे कार्यों की स्वीकृति में अनियमितता होने की ओर पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(7) श्री पारस सकलेचा, सदस्य, रतलाम जिले में शासकीय भूमि के दस्तावेजों में हेरा-फेरी किये जाने की ओर राजस्व मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(8) श्री यशपाल सिंह सिसोदिया, सदस्य, शासकीय विभागों में लगे निजी वाहन मालिकों द्वारा कर की चोरी किये जाने की ओर परिवहन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(9) सर्वश्री चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी, आरिफ अकील, अजय सिंह, सदस्य, प्रदेश के अनेक जिलों में किसानों को खाद, बीज न मिलने की ओर किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(10) श्री पारस सकलेचा, सदस्य, माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा स्वाध्यायी परीक्षार्थियों से अधिक शुल्क लिये जाने की ओर स्कूल शिक्षा मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(11) श्री नर्मदा प्रसाद प्रजापति, सदस्य, होशंगाबाद जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक द्वारा ऋण वितरण में अनियमितता किये जाने की ओर सहकारिता मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(12) श्री के.पी.सिंह "कक्काजू", सदस्य, शिवपुरी जिले में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा पिछोर द्वारा किसान क्रेडिट के नाम पर अवैध वसूली किये जाने की ओर वित्त मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(13) श्री अन्तर सिंह आर्य, सदस्य, म.प्र. व्यवसायिक परीक्षा मण्डल द्वारा जेल प्रहरी परीक्षा में आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को परीक्षा शुल्क में छूट न दिये जाने की ओर तकनीकी शिक्षा मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

-2-

4. प्रतिवेदनों की प्रस्तुति

श्री हरीसिंह रघुवंशी, याचिका समिति का प्रथम प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे,

निर्धारित समय

5. शासकीय विधि विषयक कार्य

(1) श्री राघवजी, वाणिज्यिक कर मंत्री, मध्यप्रदेश स्टाम्प विधेयक, 2009 (क्रमांक 26 सन् 2009) के पुरःस्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरःस्थापित करेंगे.

(2) श्री सरताज सिंह, वन मंत्री, मध्यप्रदेश वन उपज के करारों का पुनरीक्षण (निरसन) विधेयक, 2009 (क्रमांक 27 सन् 2009) के पुरःस्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरःस्थापित करेंगे.

(3) श्री बृजेन्द्र प्रताप सिंह, राज्यमंत्री किसान कल्याण तथा कृषि विकास, राजमाता विजियाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2009 (क्रमांक 28 सन् 2009) के पुरःस्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरःस्थापित करेंगे.

(4) श्री बाबूलाल गौर, नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री, मध्यप्रदेश नगरपालिक विधि (संशोधन) विधेयक, 2009 (क्रमांक 29 सन् 2009) के पुरःस्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरःस्थापित करेंगे.

(5) श्री जयंत मलैया, जल संसाधन मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश सिंचाई (संशोधन) विधेयक, 2009
30 मि. (क्रमांक 18 सन् 2009) पर विचार किया जाय.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.

(6) श्री सरताज सिंह, वन मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि भारतीय वन (मध्यप्रदेश संशोधन) विधेयक, 2009
1 घण्टा (क्रमांक 19 सन् 2009) पर विचार किया जाय.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.

(7) श्री करण सिंह वर्मा, राजस्व मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (संशोधन) विधेयक, 2009
1 घण्टा (क्रमांक 22 सन् 2009) पर विचार किया जाय.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय. .

(8) डॉ. नरोत्तम मिश्रा, विधि और विधायी कार्य मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश ग्राम न्यायालय (निरसन)
30 मि. विधेयक, 2009 (क्रमांक 24 सन् 2009) पर विचार किया जाय.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.

(9) श्री जगदीश देवड़ा, परिवहन मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश मोटरयान कराधान (संशोधन) विधेयक, 2009
30 मि. (क्रमांक 25 सन् 2009) पर विचार किया जाय.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.

6. अशासकीय संकल्प

(1) श्री रमेश प्रसाद खटीक, सदस्य, निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे -

45 मि. "यह सदन केन्द्र शासन से अनुरोध करता है कि प्रदेश में अन्त्योदय स्वरोजगार योजना अन्तर्गत अनुसूचित जाति के हितग्राहियों को दस हजार रुपये अनुदान दिया जाता है, उसके स्थान पर बड़ी लागत की योजनाओं में 33 प्रतिशत अनुदान दिया जाय".

(2) श्री रामलल्लू वैश्य, सदस्य, निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे -

30 मि. "यह सदन केन्द्र शासन से अनुरोध करता है कि सिंगरौली से व्हाया ब्यौहारी, कटनी, बीना होकर भोपाल तक तथा भोपाल से सिंगरौली ट्रेन सायंकालीन चलाई जाय".

(3) श्री रत्नेश सॉलोमन, सदस्य, निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे -

30 मि. "यह सदन केन्द्र शासन से अनुरोध करता है कि जबलपुर से पुरी (जगन्नाथपुरी) तक नई ट्रेन व्हाया बिलासपुर-रायगढ़ चलाई जाय".

(4) श्री आरिफ अकील, सदस्य, निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे -

45 मि. "सदन का यह मत है कि भोपाल सहित प्रदेश में जो शराब की दुकानें धार्मिक एवं सार्वजनिक स्थलों के पास संचालित हो रही हैं उन्हें नियमानुसार शहर से बाहर स्थानांतरित किया जाय."

डॉ. ए.के. पयासी
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

भोपाल :
दिनांक : 19 नवम्बर, 2009